FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ़ जिला चूरू

सुमित्र बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट नम्बर मुकदमां 189 सन् 2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही विवरण | नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म |
|---|---|---|
| 6/1/21 | यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी सुमित्र, विक्रमसिंह पुत्रगण जगदीश जाति मेघवाल निवासी बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू ने इस आशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं.30 ख0नं0 548/56, 550/361 कुल तादादी 1.00 ~~हैक्टर~~ रोही बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का गलत नाम सुमित व विक्रम भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे प्रार्थी के मतदाता सूचि, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम सुमित्र व विक्रमसिंह दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।<br>प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवलोकन के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 30 ख0नं0 548/56, 550/361 कुल तादादी 1.00 है0 रोही बीराण तहसील राजगढ़ जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम सुमित व विक्रम के स्थान पर सही नाम सुमित्र व विक्रमसिंह शुद्ध किया जावे। तद्नुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे।<br><br>मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>राजगढ़ (चूरू) | |